भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2333

जिसका उत्तर दिनांक 16.03.2022 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम

2333. श्री अदला प्रभाकर रेड्डी :
श्री कुरुवा गोरांतला माधव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में 14 सैंड बीच खनिज क्षेत्रों के लिए संभावित पट्टे के रूप में आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम को मंजूरी देने के अनुरोध पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुमोदन के लिए अनुमानित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) तथा (ख) (i) जी, हां । परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) को आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम (एपीएमडीसी) को समुद्र तट रेत खनिज (बीएसएम) वाले कुल मिलाकर 18,367 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए संभावित पट्टेदार के रूप में नामित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से 17 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

(i i) डीएई ने क्रमशः 25.03.2021 और 15.04.2021 को 90.15 हेक्टेयर भिमुनिपट्टणम निक्षेप, विशाखापट्टणम जिला और 1978.471 हेक्टेयर मछलीपट्टणम निक्षेप, कृष्णा जिला में बीएसएम खनन के लिए खनन पट्टा देने हेतु एपीएमडीसी को संभावित पट्टेदार के रूप में नामित किया है ।

(iii) आंध्र प्रदेश सरकार ने खान मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत अपने दिनांक 06.05.2021 के पत्र के माध्यम से एमएमडीआर अधिनियम, 1957 और एएमसीआर, 2016 के प्रावधानों के अनुसार समुद्र तट रेत खनिजों (बीएसएम) के लिए खनन पट्टा प्रदान करने हेतु एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) और 6(1) बी तथा एएमसीआर, 2016 के नियम 29 के तहत पूर्व अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्रस्ताव भेजा है ।

(iv) इसके अलावा, खान मंत्रालय ने अपने दिनांक 16.02.2022 के पत्र द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार से अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगा है, जो अभी तक आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना है ।

(v) पर्यावरण को नुकसान, खनन कानूनों के उल्लंघन और मोनाजाइट के गुप्त निर्यात संबंधी शिकायतों के संदर्भ में खान मंत्रालय से दिनांक 11.06.2021 का पत्र प्राप्त होने के बाद शेष प्रस्तावों पर कार्रवाई रोक दी गई है । डीएई ने आरोपों की जांच के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के समक्ष मामला उठाया । आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, डीएई ने अपने दिनांक 03.02.2022 के पत्र के माध्यम से आंध्र प्रदेश सरकार से और स्पष्टीकरण मांगा है, जो अभी तक आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना है ।

(ग) (ए) और (बी) के उत्तरों को देखते हुए, प्रश्न (सी) का उत्तर लागू नहीं होता है ।

* * * * *